

BUREAU OF INDIAN STANDARDS भारतीय मानक ब्यूरो

Southern Regional Office:

Post Box No. 8290

CIT Campus, IV Cross Road Taramani, Chennai-600 113

Phone: FAX:

2254 1442, 2254 2519 +91-044-2254 1087

2254 1584, 2254 1216 +91-044-2254 2158 E-mail : <u>adminsro@bis.org.in</u>

2254 2315, 2254 1984 Website : <u>www.bis.org.in</u>

Ref: SRO/Admn/NB 10.08.2016

NOTICE INVITING TENDER FOR ACCOUNTING SERVICES

Bureau of Indian Standards, Southern Regional Office, CIT Campus, IV Cross Road, Taramani, Chennai-600113 <u>invites sealed tenders under two bid system</u> from eligible Chartered Accountant/Agencies for providing "<u>Accounting Services</u>" for its Office located at the above mentioned address.

The Sealed bidding document along with EMD amount duly filled and signed should be addressed to the Deputy Director (Administration & Finance) and reach at the above mentioned address on or before **31 August 2016**, **1500 h.** Tender received after stipulated time and date shall be summarily rejected. The tender document may also be downloaded from our web site www.bis.org.in or the same can be obtained from our office.

Earnest Money Deposit: Rs.10,000.00 (Rupees Ten thousand only)

DD in favour of "Bureau of Indian Standards" or

through NEFT

Issuance of Tender Document: From 10 August 2016 to 31 August 2016

(Between 1000h and 1600h on all days except

Saturday, Sunday & Holidays)

Last Date for submission of Tender: 31 August up to 1500 h

Date and time of opening of Tender: 31 August at 1530 h (Technical Bid)

DD for the EMD amount or details of NEFT payments should be enclosed along with the bid value of tender document; else tender document for the bid will not be accepted.

The Bureau reserves the right to accept / reject any of the Tender(s) without assigning any reason whatsoever and shall be final and binding:

DEPUTY DIRECTOR (ADMINISTRATION & FINANCE) BIS-SRO, Chennai

TERMS & CONDITIONS

- 1. Tender document can be obtained from Administration department of Bureau of Indian Standards, Southern Regional Office. The tender document may also be downloaded from our web site www.bis.org.in.
- 2. The technical bid and the financial bid must be sealed in separate envelopes super-scribing "Technical Bid" and "Financial Bid" and both these two envelopes must be placed in a third envelope super-scribing "Tender for Providing Accounting Services". This third envelope should be sealed and addressed to the Deputy Director (Administration & Finance), Bureau of Indian Standards, and should reach the Administration department either by hand delivery or post or courier on or before the stipulated time. Bid document without sealed condition shall be opened under any circumstances.
- 3. Bid received after the said date and time will be rejected. Hence, such bid shall be returned unopened to the bidder.
- 4. Any change that will be made in the tender document by competent authority after issue of tender will be intimated in the form of corrigendum for incorporating the same in the tender document before sending the tender.
- 5. No alteration and addition in anywhere in the tender document are permitted. If any of these are found, the tender document will be summarily rejected.
- 6. The tender will be valid for a period of 90 days from the date of opening of tender.
- 7. Bidder shall not revoke his bid or vary its terms and conditions without the consent of the Bureau during the validity period of the bid. If the bidder revokes the bid or varies its terms or conditions, the Earnest money deposit by it shall stand forfeited.
- 8. The bid received through Fax or E-mail will be rejected.
- 9. In the event that the specified date for the submission of bid offers is declared a holiday, then the bid will be received up to the prescribed time on the next working day.
- 10. The bidder may withdraw its offer after its submission provided that written notice of withdrawal is received by the Bureau prior to the closing date and time prescribed for submission of offer.
- 11. The bidder or authorized person of the bidder is allowed to take part in the opening of bid and for the same they should submit the identification card or authorization letter. Absence of bidder or representative shall not impair legality of the opening procedure.
- 12. Bidder may visit our office between 10.00 AM to 5.00 PM on any working day except Saturday, Sunday and public holiday to get clarification on this work.

- 13. Tender Notice and the General Conditions shall form the part of the Contract.
- 14. The Bureau reserves the right to suitably increase/reduce the scope of the work put to this Bid.
- 15. The bidder shall quote the financial bid in this specified page only (Annexure-VII).
- 16. The Bidder shall deposit an interest free amount of Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand only) towards the Earnest Money Deposit (EMD). The Earnest money shall be deposited only in the form of Demand Draft / NEFT in favour of Bureau of Indian Standards, Chennai.

NEFT Details for payment of EMD

i) Name : Bureau of Indian Standards

ii) Account No : 3063667866 iii) IFSC CODE : CBIN0281293

iv) Bank Name and place : Central Bank of India, Advar

Chennai – 600 020

- 17. The bid document without EMD amount shall be summarily rejected and disqualified for bid.
- 18. The EMD of unsuccessful bidder shall be refunded after the award of contract to the successful bidder and signing of agreement with successful bidder or within 30 thirty days on expiry of the validity period or whichever is earlier.
- 19. The successful bidder shall pay the **Performance Security amount of Rs.15000.00** (**Rupees Fifteen thousand only**) on or before seven days from the date of receipt of the "Work Order", else the EMD amount of the successful bidder shall be forfeited and the order will be placed to the next successful bidder.
- 20. The successful bidder shall commence the work on or before ten days from the day of receipt of the "Work Order", else the EMD amount and Performance Security amount of the successful bidder shall be forfeited and the order will be placed to the next successful bidder.
- 21. The Technical Bid will be opened on the said date and time at our office.
- 22. Initially, the Contract shall be valid for a period of one year which can be extended for further period of one year, subject to satisfactory performance of the contract services and mutual consent between Bureau and contractors; with the same terms & condition and rate of the contract.
- 23. In the event that the specified date for the submission of bid offers is declared a holiday, then the bid will be received up to the prescribed time on the next working day.
- 24. The bidder may withdraw its offer after its submission provided that written notice of withdrawal is received by the Bureau prior to the closing date and time prescribed for submission of offer.

- 25. The bidder or authorized person of the bidder is allowed to take part in the opening of bid and for the same they should submit the identification card or authorization letter. Absence of bidder or representative shall not impair legality of the opening procedure.
- 26. After opening of Technical bid and verifying the EMD amount, the technical bids shall be evaluated subsequently, so as to ensure that, the bidders meets the minimum eligibility criteria as specified in the tender document.
- 27. The technical bids shall be evaluated based on the available documents submitted by the bidder. To assist the examination, evaluation, comparison and qualification of the bidders, the Bureau may, seek clarification from the bidder. If the reply is not received within the stipulated time, the Technical Bid will not be considered.
- 28. Only the agencies qualifies the technical bid shall be invited for financial bid opening and the rest of the agency will be informed about their disqualification.
- 29. Tender Notice and the General Conditions shall form the part of the Contract.
- 30. The Bureau reserves the right to suitably increase/reduce the scope of the work put to this Bid.

MINIMUM ELIGIBILITY CRITERIA

- 1. EMD for an amount of Rs.10,000.00 (Rs. Ten Thousand only) is to be submitted along with the tender document either in the form of Demand Draft drawn in favour of "Bureau of Indian Standards" Payable at Chennai or by NEFT (NEFT details to be enclosed) Else, the Bid will not be considered.
- 2. The firm should be a registered Chartered Accountant firm for providing Accounting services as a nature of business.
- 3. The firm should be registered with the ICAI under provisions of Chartered Accountant Act 1949 to provide the professional services and shall enclose the copy of registration certificate with ICAI of the firm.
- 4. The firm should have at-least three years experience in providing accounting service to the Government Departments / Public Sector Undertakings (Central or State) / Private Limited Company.
- 5. The firm should have audited Government Departments / Public Sector Undertakings (Central or State) / Private Limited Company Government.
- 6. Copy of PAN registration letter from Income Tax Department shall be enclosed.
- 7. Income Tax Return of the company/firm for the past three years should be enclosed. (2013-14, 2014-15 & 2015-16)
- 8. Service Tax Return of the Company/firm for the past three years should be enclosed. . (2012-13, 2013-14 & 2014-15)
- 9. Deployed person should be a B.Com Graduate and also well conversant with Tally Software and MS Office in performing the accounting work. Copy of the Qualification and experience certificates of the deployed person shall be enclosed.

TECHNICAL BID DOCUMENT

Documents to be submitted for Technical Bid Evaluation:

Sl.	Particulars	Documents to be attached
No.		
1	DD No & Date for an amount of Rs.10,000.00	
	(Rupees Ten Thousand only) in favour of	
	"Bureau of Indian Standards" payable at Chennai.	
	(or) NEFT Details	
2	Name of the Bidder/Firm, Office Address,	Copies should be enclosed
	Telephone No., Fax No., Mobile No., E-mail	
3	Registered Chartered Accountant firm for	Copies should be enclosed
	providing Accounting services as a nature of business	
4	Registration with ICAI under provisions of	
7	Chartered Accountant Act 1949 to provide the	Copies should be enclosed
	professional services.	Copies should be enclosed
5	At-least three Experience in providing accounting	Copies should be enclosed
	service to the Government Departments / Public	o special and an analysis
	Sector Undertakings (Central or State) / P(Ltd)	
	Company	
6	Should have audited Government Departments /	Copies should be enclosed
	Public Sector Undertakings (Central or State) /	
	P(Ltd) Company.	
7	Income Tax Return of the firm for the past three	Copies should be enclosed
	years should be enclosed. (2013-14, 2014-15 &	
	2015-16)	
8	Service Tax Return of the firm for the past three	Copies should be enclosed
	years should be enclosed. (2013-14, 2014-15 &	
	2015-16)	
9	Deployed person's details - Qualification &	Copies should be enclosed
	Experience.	copies should be enclosed
	r	

Date:	(Name and Signature of Bidder
Place:	with stamp of the firm)

SCOPE OF ACCOUNTS WORKS

All transactions shall be key-in in tally software and report shall be generated monthwise, yearwise or any interval of period.

- 1. The purpose of Accounting Services is to perform the routine accounting work of BIS-SRO in Tally Software as per the general principle of accounting and Internal guideline and to take time bound appropriate action as per the Government notification from time to time.
- 2. Ledger book of accounts shall be maintained and shall be updated as per the requirements.
- 3. Preparation of Bank Payment Vouchers, Journal Vouchers where ever required for all day-to-day transaction.
- 4. Preparation of Bank Reconciliation statement and to make further follow-up in reducing the unrealized payment.
- 5. Preparation of invoices, receipts and statement for BIS share of Royalty Hallmarking licenses.
- 6. Preparation of Income & Expenditure statement and Receipts and Payment statement and to generate monthly consolidated report.
- 7. Maintenance of Asset book of account registers incorporating all depreciation and arriving written-down value.
- 8. Generating Trial Balance Report every month on or before 15th of every month and also to generate report for any interval of period as when required.
- 9. Finalisation of Annual Closing of Accounts as per BIS internal guidelines and preparation of consolidated statement of all the department.
- 10. Preparation of Budget Estimate and Revised Budget Estimate of the organization for every Financial Year and to generate Expenditure Control Report on expenditure every month against the budget allocation for effective control on expenditure.
- 11. Maintenance of party-wise ledger (Employee) to monitor the transaction in respect of all advances, claims, reimbursement, payments, recovery and forwarding suitable reminder as well.
- 12. Maintenance of party-wise ledger for all expenditure in respect of testing charges, annual contract etc.
- 13. Preparation of TDS & TCS statement and remittance of the same within the stipulated time and generation of TDS certificate to the concerned parties and filing the quarterly returns within the stipulated time.

- 14. Remittance of Service Tax on or before 5th of every month taking into account of Cenvat Credit, service tax reverse mechanism, Service Tax input and filing half-yearly return within the stipulated time.
- 15. Preparation of Professional Tax statement of the employee every month in accordance to the Chennai Corporation notification from time to time and payment of professional tax within the stipulated time and filing of returns if required.
- 16. Assisting Bureau in giving reply to all audit queries in respect of CAG audit, Service Tax, Sale Tax, Professional Tax, TDS, internal Audit.
- 17. Attending all the cases / personal hearing on behalf of Bureau in respect of Service Tax, Sale Tax, Professional Tax, TDS issues.
- 18. Providing expert opinion on the matters relating to Service Tax, Sale Tax, Professional Tax, and TDS as per Government notification from time to time.
- 19. Any other work assigned related to accounting

Note: The agency interested for participation in tender may visit this office between 9.00 AM to 5.00 PM on all working days except Saturdays, Sundays and holidays to have any clarification on matters and quantum of work.

Date:	(Name and Signature of Tenderer
Place:	with stamp of the firm)

GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT

- 1. **Annexure** referred to in these conditions shall means the relevant annexure appended to the Tender Document and the Contract.
- 2. **Bureau** shall mean Bureau of Indian Standards established under the Bureau of Indian Standards Act, 1986.
- 3. **Bid** means the Contractor's priced offer to the Bureau for providing House Keeping Contract.
- 4. **Commencement Date** means the date upon which the Contractor receives the notice to commence the rendering of services at specified places.
- 5. **Competent Authority** shall mean any officer authorized by the Bureau to act on behalf of the Bureau under this contract.
- 6. **Contract** shall mean and include the Tender Notice, instructions to bidders, terms and conditions of contract, Letter of Acceptance, the Offer, the Agreement and mutually accepted conditions in the authorized correspondence exchanged with the bidder by the Bureau and any other document forming part of the contract.
- 7. **Contract Amount** shall mean the sum quoted by the Contractor in his bid and accepted by the Bureau.
- 8. **Contractor** shall mean the individual or firm or company whether incorporated or not, undertaking the Contract and shall include legal representatives of such individual or persons composing such firm or unincorporated company or successors of such firm or company as the case may be and permitted assigns of such individual or firm or company.
- 9. **Deputy Director General** shall mean the Deputy Director General of the Bureau, for the time being holding that office and also his successor and shall include any officer authorized by him.
- 10. **Government** shall mean the Central Government.
- 11. **Letter of Acceptance** means the formal acceptance letter given by the Contractor.
- 12. **Services** shall mean the services to be provided to the Bureau by the Contractor as stated in the Contract.
- 13. **Tender** means formal invitation by the Bureau to the prospective bidders to offer rates for **Accounting Services** Contract for BIS, SRO Campus, Chennai.
- 14. **Parties to the Contract**: The parties to the contract shall be the Contractor, whose offer is accepted by the Bureau; and the Bureau.
- 15. The person signing the offer or any other document forming the part of Contract on behalf of other persons of a firm shall be deemed to have due authority to bind such person/s or

the firm as the case may be, in all matters pertaining to the Contract. If it is found that the person concerned has no such authority, the Bureau may, without prejudice to any other Civil/Criminal remedies, terminate the Contract and hold the signatory and / or the firm liable for all costs and damages for such termination.

- **16. Performance Security**: To ensure due performance of the contract, an interest-free deposit, as defined in **Annexure** –**I** shall be deposited by the contractor in the form of either Demand Draft in favour of "Bureau of Indian Standards" payable at "Chennai" or by NEFT.
- 17. **Performance Security** shall remain valid for a period of sixty days beyond the date of completion of all contractual obligations of the contractor. The Performance Security shall be returned to the Contractor by the Bureau after sixty days of completion. However, if any outstanding dues, recovery on the part of Contractor, the same shall be adjusted with Performance Security and the balance will be refunded. In case of breach of Contract, the Performance Security will be forfeited.
- 18. **Contract Documents:** The several Contract documents forming the Contract shall be taken as mutually explained to one party by the other, but in case of ambiguities or discrepancies the same shall be explained and harmonized by the Competent Authority of the Bureau who shall issue to the Contractor necessary instruction thereon and in such event unless otherwise provided in the Contract the priority of the documents forming the contract shall be as follows:
 - (i) The Agreement
 - (ii) The Conditions of Contract
 - (iii) Tender Notice and Tender Document
 - (iv) Letter of Acceptance
 - (v) Any other correspondence exchanged between the parties in connection with the contract.
 - (vi) The Bureau's Offer letter (Work order)
- 19. **Validity of the Contract**: The Contract shall be valid for a period of one year from the date of award of Contract. The contract shall be extended for one year subject to the satisfactory performance of the contractor and on mutual consent of both the parties with the same terms & conditions and rate of the Contract.
- **20. Scope of work**: The contractor shall provide Accounting Services as per the Scope of work given in **Annexure IV**.
- 21. **Payment Terms**: The payment of bills of the contract will be made only through NEFT and for the same bank details shall be provided for making payment. The payment will be made after deduction of applicable taxes in accordance to Income Tax Act, 1961 as per the Government notification from time to time.
- 22. **Suspension of Contract**: The Bureau shall be at liberty at any time to temporarily suspend this Contract on giving 24 hours notice in writing to the Contractor for breach of any of the terms and conditions of this Contract for insufficient service or misconduct of the Contractor as to which the decision of the Bureau shall be final and the Contractor shall not be entitled to any change or compensation by reason thereof.

- 23. **Termination by the Bureau**: It shall also be lawful for the Bureau to terminate the Agreement at any time without assigning any reason and without being liable for loss or damage which the Contractor may suffer by reason of such termination, by giving the Contractor one month notice in writing by the Bureau for such termination. Any such termination shall be without prejudice to any other right of the Bureau under the Contract.
- 24. **Contractor's right to terminate**: If the Contractor decides to terminate the Contract before the end of contract period, the Contractor has to give an advance intimation of at least 30 days. If the Contractor terminates the agreement without prior notice of 30 days, then the entire security deposit will be forfeited.
- 25. The contractor shall deploy qualified and experienced personnel in performing the job as per the Bureau requirements and shall complete the assigned task within the stipulated time as and when required.
- 26. The deployed persons shall maintain decent behavior and shall strictly adhere the general principle of code of conduct in the office.
- 27. The Bureau shall remove any of the deployed person from the assigned job, if it is found that the assigned work are not being carried-out as per standards or not adhering the code of conduct.
- 28. The contractor is sole responsible for disbursement of wages to the deployed personnel and also liable for any benefits in respect of EPF, ESI and other statutory compliance of Government Ordinance from time to time.
- 29. The contractor is sole responsible for any of the compensation to the deployed personnel and also liable for other statutory compliance of Government Ordinance from time to time in respect of any injury / accident that causes in office premise
- 30. Force Majeure Clause: If at any time during the continuance of this Contract, the performance in whole or in part by either party of any obligation under this contract shall be prevented or delayed by the reasons of any war, hostility, acts of the public enemy, epidemics, civil commotion, sabotage, fires, floods, explosion, quarantine restrictions, strikes, lockouts or act of God (hereinafter referred to as such acts) provided notice of happening of such event is given by one party to the other within 21 days from the date of occurrence thereof, neither party shall be by reasons of such event, be entitled to terminate this contract nor shall either party have any claim for damages against the other in respect of such non-performance or the delay in performance, and deliveries under the contract shall be resumed as soon as practicable after such event has come to an end or ceased to exist, and the decision of the Director General of the Bureau as to whether the deliveries have been so resumed or not, shall be final and conclusive, PROVIDED FURTHER that if the performance in whole or part of any obligation under this contract is prevented or delayed by reason of any such event for a period exceeding 60 days, either party may at its option terminate the contract provided also that the Bureau shall be at liberty to take over from the Contractor at a price to be fixed by Director General, which shall be final.
- 31. **Corrupt or Fraudulent Practices**: The Bureau requires that the Bidders under this Bid observe the highest standards of ethics during the procurement and execution of such Contracts. Accordingly, the Bureau defines the terms set forth as follows:

- 32. Corrupt practice means the offering, giving, receiving or soliciting of anything of value to influence the action of the public official in the procurement process or in contract execution; and
- 33. "Fraudulent practice" means a misrepresentation of facts in order to influence a procurement process or a execution of a contract to the detriment of the Bureau, and includes collusive practice among Bidders (prior to or after Bid submission) designed to establish Contract Prices at artificial non-competitive levels and to deprive the Bureau of the benefits of the free and open competition.
- 34. The Bureau will reject a proposal for award if it determines that the Contractor has engaged in corrupt or fraudulent practices before, during or after the period of contract; The Bureau will hold the Contractor ineligible to be awarded a contract, either indefinitely or for a period of 24 months from the date of declaring the contractor ineligible if it at any time determines that the Contractor has engaged in corrupt and fraudulent practices in competing for, or in executing the Contract.
- 35. Confidentiality: The Contractor shall not divulge or disclose proprietary knowledge obtained while providing House Keeping Services under this Contract to any person, without the prior written consent of the Bureau.
- 36. **Publicity:** Any publicity by the Contractor in which the name of the Bureau is to be used, should be done only with the explicit written permission of the Bureau.
- 37. **Disputes & Arbitration:** The Bureau and the Contractor shall make every effort to resolve amicably by direct informal negotiation, any disagreement or dispute arising between them under or in connection with the contract. If a dispute(s) of any kind whatsoever that cannot be resolved the same shall be referred to the Arbitrator, appointed by the BIS SRO. The provisions of the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996 shall apply.
- 38. **Mode of serving Notice:** Communications between Parties which are referred to in the Contract are effective only when in writing. A notice shall be effective only when it is delivered (in terms of Indian Contract Act).
- 39. All notices shall be issued by the authorized officer of the Bureau unless otherwise provided in the Contract. In case, the notice is sent by registered post to the last known place or abode or business of the Contractor, it shall be deemed to have been served on the date when in the ordinary course of post these would have been served on or delivered to it.
- 40. **Governing language:** Governing language for the entire contract and communication thereof shall be English.
- 41. Law: The contract shall be governed and interpreted under Indian Laws.
- 42. **Legal Jurisdiction:** No suit or other proceedings relating to performance or breach of Contract shall be filed or taken by the Contractor in any Court of law except the competent Courts having jurisdiction within the local limits of Chennai only.
- 43. **Stamp duty:** The Contractor shall bear and pay any stamp duty and registration charges in respect of the Contract.

AGREEMENT

THIS AGREEMENT made M/s (Name	•		
CONTRACTOR, which expression be deemed to mean and include its Indian Standards Southern Regiona 113 (hereinafter referred to as the Econtext or meaning thereof, be de OTHER PART. WHEREAS the Contractor is a servential to the context of the contractor is a servential to the co	shall, unless it be repugnan successors and assigns) of l Office, CIT Campus, IV C BUREAU, which expression emed to mean and include	t to the context of the ONE PART cross Road, Tara shall, unless it	or meaning thereof, and the Bureau of amani, Chennai-600 be repugnant to the
AND WHEREAS the Bureau is a Affairs and Food & Public Distribution Accounting Services and therefore Tender enquiry dated	oution, Government of Indi	a. The Bureau	intends to Provide
WHEREAS the Contractor (successivith the bid document and was selented into the contract prices, as Contractor on	ected as successful bidder" p	oursuant to the b	oidding process and
BOTH THE PARTIES HERETO (Conditions of Contract) of Tender		and conditions	s as mentioned in
(Signature of Contractor/	(Signature of Authorized C	Officer of the Bu	ıreau)
Authorized Representative)			
Name	Name		
Designation	Designation		
Address	Address		
Seal of the Firm/Company	Seal of the Bureau		
Witness:	Witness:		
(Signature)	(Signature)		
Name of Witness	Name of Witness		_
Address	Address		_

FINANCIAL BID DOCUMENT

1.	The agency	willing to	provide	Accounting	Services	shall	give	their	bid	value	as
	follows.										

2. Applicable taxes shall be levied on the bid val	2.	Applicable	taxes shall	l be levied	on the bi	id value
--	----	-------------------	-------------	-------------	-----------	----------

Sl. No.	Bid Value for providing Accounting Services.
1	Amount in figures: Rs.
	Amount in words: Rs.

We have studied all the terms & condition of the Tender Document, Minimum Eligibility criteria, Scope of Work, and General Condition of the Contract and agree for all the terms & condition of the contract.

Date:	
Place:	(Name and Signature of Bidder
	with stamp of the firm)



दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय : पोस्ट बॉक्स सं 8290

सीआईटी कैम्पस, चतुर्थ क्रॉस रोड तारामणी, चेन्नै - 600113

संदर्भ: दक्षेका/प्रशा/नेमबोर्ड 10.08.2016

निविदा आमंत्रण की सूचना

भारतीय मानक, दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय, सीआईटी कैम्पस, चतुर्थ क्रॉस रोड, ब्यूरो तारामणि, चेन्नई-600113 पात्र फर्मों/ एजेंसियां से सील की हुई निविदाएं अपने कार्यालय के उपरोक्त पते पर "लेखा सेवाएँ" प्रदान करने के लिए निविदा आमंत्रित करता है।

विधिवत भरा हुआ ईएमडी और हस्ताक्षर के साथ मुहरबंद बोली दस्तावेज उप निदेशक (प्रशासन और वित्त) को संबोधित किया जाना चाहिए और उपरोक्त पते पर 31 अगस्त 2016, 15.00 बजे तक भेज सकते हैं । नियत समय और तारीख के बाद प्राप्त निविदा सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा । निविदा दस्तावेज भी हमारी वेब साइट www.bis.org.in से डाउनलोड किया जा सकता है या हमारे कार्यालय से भी उक्त निविदा दस्तावेज़ को प्राप्त किया जा सकता है।

जमा बयाना राशि: ₹ 10,000.00 (₹ दस हजार मात्र)

"भारतीय मानक ब्यूरो" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट

या एनईएफटी के माध्यम से

निविदा दस्तावेज़ जारी करना : 10 अगस्त 2016 से 31 अगस्त 2016 तक

(शनिवार, रविवार & छुट्टी को छोडकर 10.00 बजे से 16.00 बजे के बीच)

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि : 31 अगस्त 15.00 बजे तक निविदा खोलने के लिए तिथि व समय : 31 अगस्त 15.30 बजे तक

ईएमडी राशि के लिए डीडी या एनईएफटी भुगतान का विवरण निविदा दस्तावेज की बोली मूल्य के साथ संलग्न किया जाना चाहिए; अन्यथा बोली के लिए निविदा दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ब्यूरो बिना बताए निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और निर्णय भी अंतिम और बाध्यकारी होगा ।

> उपनिदेशक (प्रशासन & वित्त) भा मा ब्यूरो, द क्षे का, चेन्नै

नियम एवं शर्ते

- 1. निविदा दस्तावेज भारतीय मानक, दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय के ब्यूरो के प्रशासन विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा दस्तावेज भी हमारी वेब साइट www.bis.org.in. से डाउनलोड किया जा सकता है
- 2. तकनीकी बोली और वितीय बोली के नाम से दोनों बोलियों को अलग-अलग लिफाफे में मुहर बंद होना चाहिए और इन दोनों लिफाफे को "लेखा सेवाएं प्रदान करने हेतु निविदा" को एक तीसरे लिफाफे में रखा जाना चाहिए । और उप निदेशक (प्रशासन और वित्त), भारतीय मानक ब्यूरो के नाम पर हाथों-हाथ या पोस्ट या कोरियर द्वारा नियत तिथि तक वितरित किया जाना चाहिए । और बिना मुहर के बोली दस्तावेज़ किसी भी स्थिति में खोली जाएगी ।
- 3. नियत तिथि व समय के बाद प्राप्त बोली को खारिज कर दिया जाएगा । इसलिए, इस तरह की बोली बिना खोले ही वापस कर दी जाएंगी ।
- 4. निविदा जारी होने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदा दस्तावेज में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो निविदा भेजने से पहले निविदा दस्तावेज में परिवर्तन को शामिल करने के लिए शुद्धिपत्र के रूप में सूचित किया जाएगा।
- 5. निविदा दस्तावेज में कोई भी और कहीं भी परिवर्तन की अनुमित नहीं है। यदि इनमें से कुछ भी ऐसा पाया जाता है तो निविदा दस्तावेज सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा ।
- 6. निविदा की वैध्यता निविदा ख्लने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए मान्य होगा ।
- 7. बोली की वैधता अविध के दौरान नियमों और शर्तों में भिन्न होने पर ब्यूरो की सहमित के बिना बोलीदाता अपनी बोली वापस नहीं लेगा । नियम या शर्तों में भिन्न होने पर यदि बोलीदाता अपनी बोली वापस लेता है, तो उसके द्वारा जमा बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।
- 8. फैक्स या ईमेल के माध्यम से प्राप्त बोली को खारिज कर दिया जाएगा ।
- 9. यदि निर्दिष्ट तिथि के दिन अवकाश घोषित किया जाता है, तो बोली को निर्धारित समय के लिए अगले कार्य दिवस में प्राप्त किया जाएगा।
- 10. बोलीदाता बोली जमा करने के बाद अपनी बोली वापस ले सकता हैं, बशर्ते वापसी के लिए अंतिम तिथि तक या प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय तक ब्यूरो को लिखित में सूचना प्राप्त होना चाहिए।
- 11. बोलीदाता या अधिकृत व्यक्ति बोली के खोलने में भाग लेने के लिए अनुमित दी जाएगी और उसी के लिए उन्हें अपना पहचान कार्ड या पहचान पत्र प्रस्तुत करना चाहिए । बोलीदाता या प्रतिनिधि की अनुपस्थित में खोलने की प्रक्रिया की वैधता को बेकार नहीं किया जाएगा ।
- 12. बोलीदाता हमारे कार्यालय शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर किसी भी कार्य दिवस में 10.00 बजे से 17.00 बजे के बीच इस कार्य हेत् स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए मिल सकते है।
- 13. निविदा सूचना और सामान्य शर्तें अनुबंध का हिस्सा होगा।
- 14. ब्यूरो इस बोली में कार्य के दायरे को उपयुक्त वृद्धि / कम करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 15. बोली लगाने वाले केवल वितीय बोली की निर्दिष्ट पेज (अनुबंध-) में दर उल्लेख करने होंगे।
- 16. बयाना जमा राशि (ईएमडी) की ओर (दस हजार रुपए केवल) बोलीदाता 10,000 / का ब्याज मुक्त राशि जमा करेगा। बयाना राशि भारतीय मानक ब्यूरो, चेन्नई के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट / एनईएफटी के रूप में जमा किया जाएगा। ईएमडी के भ्गतान के लिए एनईएफटी विवरण भी दिया गया है

i) नाम : भारतीय मानक ब्यूरो

ii) खाता संख्या : 3063667866iii) आईएफ़एससी कोड : CBIN0281293

iv) बैंक का नाम व पता : सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अड्यार

चेन्नई- 600 020

- 17. ईएमडी राशि के बिना प्राप्त बोली दस्तावेज को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और बोली के लिए अयोग्य भी घोषित कर दिया जाएगा।
- 18. असफल बोलीदाता की ईएमडी की राशि कार्य पूरा होने के बाद या वैधता अविध या जो भी पहले होगा के बाद वापस कर दिया जाएगा।
- 19. सफल बोलीदाता को 15000 रुपये (रूपये पंद्रह हजार केवल) की राशि को प्रदर्शन सुरक्षा के रूप में "कार्य आदेश" की प्राप्ति की तारीख से सात दिन पहले भुगतान करना होगा । यदि यह धनराशि नहीं जमा किया जाता है, तो सफल बोलीदाता की ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी और अगले सफल बोलीदाता को ऑर्डर दे दिया जाएगा।
- 20. सफल बोलीदाता को "कार्य आदेश" की प्राप्ति के पंद्रह दिन में या उससे पहले कार्य शुरू करना होगा, अगर ऐसा नही पाया जाता है तो सफल बोलीदाता की ईएमडी राशि और प्रदर्शन सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी और अगले बोलीदाता को कार्य हेत् आदेश दे दिया जाएगा ।
- 21. तकनीकी बोली उक्त तिथि और समय पर हमारे कार्यालय में खोली जाएगी।
- 22. प्रारंभ में, अनुबंध एक वर्ष की अविध के लिए वैध्य होगा, अनुबंध सेवाओं में संतोषजनक प्रदर्शन, ब्यूरो और ठेकेदार के बीच आपसी सहमित के अधीन उक्त नियम व शर्ती सिहत अनुबंध के साथ अतिरिक्त एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- 23. यदि किसी भी स्थिति में बोली प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट तिथि को अवकाश घोषित कर दिया जाता है तो बोली को निर्धारित समय पर अगले कार्य दिवस में प्राप्त किया जाएगा।
- 24. बोलीदाता जमा होने के बाद अपनी बोली को वापस ले सकता है, बशर्ते वापस लेने के लिए निर्धारित तिथि व समय बंद होने तक पूर्व में ब्यूरो से लिखित में सूचना प्राप्त करना होगा ।
- 25. बोली खुलने में भाग लेने के लिए बोलीदाता या बोली लगाने वाले अधिकृत व्यक्ति ही भाग लेंगे और उसी के लिए उन्हें अपना पहचान कार्ड या पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा । बोली लगाने या प्रतिनिधि की अनुपस्थिति या बिना बाध्यता के खोलने की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा ।
- 26. निविदा दस्तावेज के खुलने व ईएमडी राशि को पुष्टि करने के फरस्वरूप तकनीकी बोली का मूल्यांकन किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निविदा दस्तावेज़ में निर्धारित न्यूनतम मानदंडों को पूरा करता हैं।
- 27. तकनीकी बोलियों बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। परीक्षा, मूल्यांकन, तुलना और बोली लगाने वालों की योग्यता की सहायता करने के लिए, ब्यूरो, बोलीदाता से स्पष्टीकरण मांग सकता हैं। यदि निर्धारित समय के भीतर जबाब प्राप्त नहीं होता है, तो तकनीकी बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 28. केवल एजेंसियों उत्तीर्ण तकनीकी बोली के वित्तीय बोली खोलने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और एजेंसी के बाकी उनकी अयोग्यता के बारे में सूचित किया जाएगा।
- 29. निविदा सूचना और सामान्य शर्तें अनुबंध का एक हिस्सा होगा।
- 30. ब्यूरो उपयुक्त वृद्धि / काम इस बोली के लिए रखा का दायरा कम करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

न्यूनतम पात्रता के लिए मानदंड

- 1. बोली सुरक्षा (ईएमडी): निविदादाता को बयाना जमा के लिए रू 10,000.00 (रू दस हजार मात्र) के रूप में जमा करना होगा । और भारतीय मानक ब्यूरो, चेन्नै के पक्ष में देय उक्त धनराशि को डिमांड ड्राफ्ट या नेफ्ट के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए । (ईएमडी भुगतान के लिए नेफ्ट विवरण संलग्न है) अन्यथा बोली के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।
- 2. फर्म एक कारोबार प्रकृति के रूप में लेखा सेवाएं प्रदान करने के लिए एक पंजीकृत चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म होना चाहिए।
- 3. पेशेवर सेवाएं प्रदान करने के लिए फर्म चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम 1949 के प्रावधानों के तहत आईसीएआई के साथ पंजीकृत होना चाहिए और फर्म के आईसीएआई के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करेगा।
- 4. फर्म सरकारी विभागों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (केन्द्रीय या राज्य) / प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लेखा सेवा प्रदान करने में कम से कम तीन साल का अन्भव होना चाहिए।
- 5. फर्म सरकारी विभागों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (केन्द्रीय या राज्य) / प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सरकार विभागों में लेखा परीक्षण किया हो ।
- 6. आयकर विभाग की ओर से पैन पंजीकरण पत्र की प्रति संलग्न की जाएगी।
- 7. पिछले तीन वर्षों के लिए कंपनी / फर्म के आयकर रिटर्न संलग्न किया जाना चाहिए। (2012-13, 2013-14 & 2014-15)
- 8. पिछले तीन वर्षों के लिए कंपनी / फर्म की सेवा कर रिटर्न संलग्न किया जाना चाहिए। (2012-13, 2013-14 & 2014-15)
- 9. तैनात होने वाले व्यक्ति लेखा कार्य प्रदर्शन में एक बी. कॉम ग्रेजुएट और भी टैली सॉफ्टवेयर और एमएस ऑफ़िस के साथ अच्छी तरह से परिचित होना चाहिए। तैनात व्यक्ति की योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की जाएगी।

तकनीकी बोली के दस्तावेज़

तकनीकी बोली मूल्यांकन करने हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़

क्र	विवरण	संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज़
सं		
1	Rs.10,000.00 (रूपये दस हजार केवल) की राशि की डिमांड ड्राफ्ट/ तिथि	
	"भारतीय मानक ब्यूरो" चेन्नई में देय के पक्ष में। (या) नेफ्ट विवरण	
2	निविदादाता का नाम/फ़र्म, कार्यालय का पता, टेलीफ़ोन नंबर, फैक्स नंबर,	प्रतियां संलग्न किया जाना चाहिए और मुहर के
	मोबाइल नंबर ईमेल	साथ हस्ताक्षरित होना चाहिए
3	कारोबार के प्रकृति के रूप में लेखा सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजीकृत चार्टर्ड	प्रतियां संलग्न किया जाना चाहिए
	एकाउंटेंट फर्म	
4	चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 के प्रावधानों के तहत आईसीएआई के साथ	प्रतियां संलग्न किया जाना चाहिए
	पंजीकरण पेशेवर सेवाएं प्रदान करने के लिए।	
5	सरकारी विभागों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (केन्द्रीय या राज्य) / पी	प्रतियां संलग्न किया जाना चाहिए
	(लिमिटेड) कंपनी के लिए लेखा सेवा प्रदान करने में कम से कम तीन अनुभव	
6	सरकारी विभागों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (केन्द्रीय या राज्य) / पी	प्रतियां संलग्न किया जाना चाहिए यदि उपलब्ध
	(लिमिटेड) कंपनी में लेखा ऑडिट किया हो ।	हो ।
7	पिछले तीन साल के लिए आय कर रिटर्न	प्रतियां संलग्न किया जाना चाहिए यदि उपलब्ध
	(2010-11, 2011-12 और 2012-13)	हो ।
8	पिछले तीन साल के लिए सेवा कर रिटर्न	प्रतियां संलग्न किया जाना चाहिए
	(2010-11, 2011-12 और 2012-13)	
9	तैनात होने वाले व्यक्ति का विवरण - योग्यता और अनुभव।	प्रतियां संलग्न किया जाना चाहिए

तिथि:	(फर्म की स्टांप सहित बोलीदाता का
-	नाम व हम्ताक्षर)

लेखा कार्य का दायरा

सभी लेनदेन कुंजी में टैली सॉफ्टवेयर और रिपोर्ट में महीने के लिहाज से, साल दर या किसी भी अंतराल की अविध में उत्पन्न किया जाएगा ।

- 1. लेखा सेवा के उद्देश्य के लेखांकन और आंतरिक दिशानिर्देश के सामान्य सिद्धांत के अनुसार टैली सॉफ्टवेयर में बीआईएस-एसआरओ की दिनचर्या लेखा काम को करने के लिए और समय-समय पर सरकार की अधिसूचना के अनुसार समयबद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए है।
- 2. खातों की खाता बही पुस्तक रखा जाएगा और आवश्यकताओं के अनुसार के रूप में अद्यतन किया जाएगा।
- 3. बैंक के लिए भुगतान वाउचर तैयार करना, जर्नल वाउचर कभी सब दिन-प्रतिदिन के लेन-देन के लिए जहां आवश्यक हों ।
- 4. बैंक समाधान विवरण तैयार करना और आगे कर अनुवर्ती अचेतन भुगतान को कम करने में करते हैं।
- 5. चालान, की रसीदों की तैयारी और रॉयल्टी हॉलमार्किंग लाइसेंस के लिए भारतीय मानक ब्यूरो में हिस्सेदारी के लिए विवरण तैयार करना ।
- 6. आय एवं व्यय के बयान और प्राप्तियों और भुगतान के बयान की तैयारी और मासिक समेकित रिपोर्ट तैयार करना ।
- 7. सभी मूल्यहास को शामिल करने और लिखा-नीचे मूल्य पहुंचने खाते के रजिस्टरों की एसेट बूक का रखरखाव को व्यवस्थित करना ।
- 8. हर महीने या हर महीने की 15 तारीख से पहले ट्राइल बैलेंस रिपोर्ट तैयार करना और जब भी आवश्यक हो तो किसी भी अंतराल की अविध के लिए रिपोर्ट तैयार करना है।
- 9. भा मा ब्यूरो के आंतरिक दिशा निर्देशों के अनुसार सभी विभागों के समेकित बयान की तैयारी के रूप में प्रति खातों की वार्षिक लेखाबंदी को अंतिम रूप देना।
- 10. प्रत्येक वितीय वर्ष में संगठन के लिए बजट अनुमान और संशोधित बजट अनुमान तैयार करना और हर महीने व्यय पर प्रभावी नियंत्रण के लिए बजट आवंटन हेत् व्यय पर नियंत्रण की रिपोर्ट बनाना हैं।
- 11. पार्टी के वार खाता बही (कर्मचारी) के रखरखाव के रूप में अच्छी तरह से सभी अग्रिम, किए गए क्लेम की प्रतिपूर्ति, भुगतान, वसूली और अग्रेषण उपयुक्त अनुस्मारक व लेन-देन के संबंध में मोनिट्रिंग करना आदि कार्य करना है।
- 12. परीक्षण शुल्क, वार्षिक अनुबंध आदि के संबंध में सभी व्यय के लिए पार्टी के लिहाज से खाता बही का अनुरक्षण करना
- 13. टीडीएस और टीसीएस के बयान और उसी के प्रेषण निर्धारित समय और संबंधित पक्षों के लिए टीडीएस प्रमाण पत्र को तैयार करना और निर्धारित समय के भीतर त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करना आदि।
- 14. प्रत्येक महीने के 5वी से पहले निर्धारित समय के भीतर सेनवैट क्रेडिट, सेवा कर रिवर्स मैकेनिज़्म, सेवा कर इनप्ट और दाखिल अर्ध-वार्षिक वापसी के खाते में लेने की सर्विस टैक्स का प्रेषण करना।
- 15. चेन्नई निगम अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक महीने में समय समय पर कर्मचारी की पेशेवर कर रिपोर्ट निर्धारित समय पर रिटर्न दाखिल करना और निर्धारित समय के भीतर पेशेवर कर के भुगतान के लिए तैयारी करना यदि आवश्यक हो ।
- 16. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के ऑडिट, सेवा कर, बिक्री कर, व्यावसायिक टैक्स, टीडीएस, आंतिरक लेखा परीक्षा के संबंध में सभी लेखा परीक्षा के प्रश्नों के जवाब देने में ब्यूरो की सहायता करना।
- 17. सभी मामलों में / व्यक्तिगत सुनवाई सेवा कर, बिक्री कर, व्यावसायिक टैक्स, टीडीएस मुद्दों के संबंध में ब्यूरों की ओर से भाग लेना ।
- 18. सेवा कर, बिक्री कर, व्यावसायिक कर, और सरकार की अधिसूचना के अनुसार समय-समय पर टीडीएस से संबंधित मामलों पर विशेषज्ञ की राय प्रदान करना।

तिथि:	(फर्म की स्टांप सहित बोलीदाता का
स्थान:	नाम व हस्ताक्षर)

ध्यान दें : एजेंसी निविदा में भाग लेने के लिए इच्छुक शनिवार, रविवार और छुट्टियों को छोड़कर सभी कार्य

दिवस में प्रातः 09.00 से 17.00 बजे के बीच काम की मात्रा से संबन्धित स्पष्टीकरण ले सकते हैं।

19. 19. लेखा से संबंधित सौंपे गए कोई अन्य कार्य

अनुबंध की सामान्य शर्ते

- अनुबंध इन शर्तों के अधीन का अभिप्राय है कि निविदा दस्तावेज और अनुबंध के साथ संलग्न प्रासंगिक अन्लग्नक ।
- 2. ब्यूरो से तात्पर्य है भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत स्थापित भारतीय मानक ब्यूरो है।
- 3. बोली बोली का अभिप्राय है कि ब्यूरो को हाउस कीपिंग अनुबंध प्रदान करने हेतु है ।
- 4. आरंभ तिथि से तात्पर्य है विहित स्थानों पर सेवाएँ उपलब्ध कराने की शुरुवात संबंधी वह तिथि है, जिसमें संविदाकार को सूचना प्राप्त हो ।
- 5. सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य है इस संविदा के तहत, ब्यूरो की ओर से कार्य करने हेतु ब्यूरो द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी ।
- 6. संविदा से तात्पर्य है कि निविदा सूचना हित, बोलीदाताओं के लिए निर्देश, संविदा की शर्तों एवं निबंधन, स्वीकृति पत्र, प्रस्ताव, करार एवं ब्यूरो द्वारा बोलीदाता के साथ प्राधिकृत आपसी पत्राचार में स्वीकृति आपकी शर्तें तथा संविदा के साथ बनाए गए किसी भी प्रकार के दस्तावेज़ ।
- 7. संविदा राशि तात्पर्य है संविदाकार द्वारा उसकी बोली में उद्धृत की गयी राशि एवं ब्यूरो द्वारा स्वीकार्य ।
- 8. संविदाकार से तात्पर्य है व्यक्ति या फर्म या कंपनी, चाहे निगमित हो या ना हो, संविदा उपक्रमित एवं ऐसे व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधि या ऐसी फ़र्म में शामिल व्यक्ति या अनिगमित कंपनी या ऐसी फ़र्म के उत्तराधिकारी या कंपनी, जो भी मामला हो, ऐसे व्यक्ति या फ़र्म या कंपनी को सौंपी गयी अन्मति ।
- 9. उपमहानिदेशक से तात्पर्य है कि ब्यूरो का उपमहानिदेशक उस कार्यालय का समय-समय पर पदधारक एवं उनका उत्तराधिकारी भी एवं उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी शामिल होंगे ।
- 10. सरकार से अभिप्राय है केंद्रीय सरकार ।
- 11. पत्र स्वीकार्यता से अभिप्राय है ठेकेदार द्वारा आधिकारिक स्वीकृत ।
- 12. सेवाओं से अभिप्राय है संविदा में यथा वर्णित संविदाकार द्वारा ब्यूरो को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएँ तथा निविदा दस्तावेज़ में विहित की गयी अन्य सेवाएँ शामिल होंगी ।
- 13. निविदा से तात्पर्य है संविदा आधार पर लेखा सेवाएँ हेतु तय मूल्य के लिए प्रस्ताव देने के लिए भावी बोलीदाताओं को ब्यूरो द्वारा औपचारिक आमंत्रण ।
- 14. अनुबंध के लिए पार्टी: ठेकेदार, जिसका प्रस्ताव ब्यूरो द्वारा स्वीकार किया जाता है और ब्यूरो ।
- 15. संविदा से संबन्धित सभी मामलों में प्रस्ताव या एक फर्म के अन्य व्यक्तियों की ओर से अनुबंध का हिस्सा बनाने के लिए किसी भी अन्य दस्तावेज हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति जैसा भी मामला हो ऐसे व्यक्ति / या फर्म अधिकार तक ही सीमित ही समझा जाएगा। यदि यह पाया जाता है कि संबंधित व्यक्ति इस तरह का कोई अधिकार नहीं रखता है कि ब्यूरो किसी भी अन्य सिविल / आपराधिक उपचार पर प्रतिकृल प्रभाव डाले बिना, अनुबंध समाप्त करने और हस्ताक्षरकर्ता और / या ऐसी समाप्ति के लिए सभी लागत और नृकसान के लिए फर्म उत्तरदायी हो सकता है।
- 16. प्रदर्शन सुरक्षा: अनुबंध-। में परिभाषित के रूप में अनुबंध की वजह से प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए, एक ब्याज मुक्त, "चेन्नई" पर देय "भारतीय मानक ब्यूरो" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ठेकेदार द्वारा जमा किया जाएगा ।
- 17. प्रदर्शन सुरक्षाः ठेकेदार के सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की अविध के लिए वैध रहेगा। यदि ठेकेदार की तरफ से ब्यूरो पर कोई दावा नहीं होगा तो साथ दिन पूरा

- होने के बाद निष्पादन सुरक्षा ठेकेदार को ब्यूरो द्वारा वापस कर दिया जाएगा । अनुबंध के उल्लंघन के मामले में प्रदर्शन सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी।
- 18. संविदा के दस्तावेज़: कई अनुबंध दस्तावेज परस्पर समझ के साथ अन्य द्वारा एक पार्टी का गठन किया जाएगा, लेकिन अस्पष्टता और विसंगतियों के मामले में ब्यूरो के सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक ही ठेकेदार को आवश्यक अनुदेश जारी करेगा और सामंजस्य के लिए अनुबंध में प्रदान की जाती है जब तक कि अनुबंध के गठन के दस्तावेजों की प्राथमिकता के आधार पर इस तरह की घटना में निम्नलिखित रूप में किया जाएगा:
 - i) करार
 - ii) अन्बंध की शर्तीं
 - iii) निविदा सूचना और निविदा दस्तावेज
 - iv) स्वीकृति पत्र
 - v) किसी भी अन्य पत्राचार अन्बंध के संबंध में दोनों पक्षों के बीच आदान-प्रदान किया।
 - vi) ठेकेदार का प्रस्ताव
- 19. अनुबंध की वैधता : अनुबंध की वैध्यता अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख से एक वर्ष की अविध के लिए वैध होगी। अनुबंध के संतोषजनक निष्पादन के आधार पर समीक्षा के उपरांत दोनों की आपसी सहमित पर उक्त नियम व शर्तों और उल्लेख दर के आधार पर एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। वार्षिक विस्तार के बाद अनुबंध की कुल अधिकतम अविधि तीन वर्ष की होगी।
- 20. कार्य क्षेत्र : ठेकेदार कार्य के दायरे में अनुबंध IV में दी गई अनुसार लेखा सेवाएं प्रदान करेगा ।
- 21. भुगतान की शर्तें: अनुबंध के बिल का भुगतान केवल एनईएफटी के माध्यम से किया जाएगा और भुगतान करने के लिए उक्त बैंक का विवरण प्रदान कराएगा । भुगतान यानी आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन कर सरकार की अधिसूचना के अनुसार समय-समय पर प्रत्येक बिल के लिए सकल राशि से प्रचलित दरों पर उपकर / अधिभार के साथ स्रोत पर कटौती की जाएगी।
- 22. अनुबंध का निलंबन: ब्यूरो अस्थायी रूप से जो करने के लिए के रूप में ठेकेदार के कदाचार की अपर्याप्त सेवा के लिए इस अनुबंध के नियम और शर्तों में से किसी का उल्लंघन करने के लिए ठेकेदार को लिखित रूप में 24 घंटे के नोटिस पर इस अनुबंध को निलंबित करने के लिए किसी भी समय आजादी होगी निर्णय की ब्यूरो अंतिम होगा और ठेकेदार उसके वजह से किसी भी परिवर्तन या मुआवजे के हकदार नहीं होगा।
- 23. **ब्यूरो द्वारा समाप्ति**: ब्यूरो बिना कोई कारण बताए और ब्यूरो द्वारा लिखित रूप में ठेकेदार को एक महीने के नोटिस देकर ठेकेदार ऐसी समाप्ति की वजह से कष्ट हो सकता, जो नुकसान या क्षिति के लिए उत्तरदायी होने के बिना किसी भी समय पर समझौते को समाप्त करने के लिए यह भी वैध हो जाएंगे ऐसी समाप्ति के लिए। किसी भी तरह के समापन अनुबंध के तहत ब्यूरो के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जाएगा।
- 24. समाप्त करने के लिए ठेकेदार के अधिकार: ठेकेदार अनुबंध की अवधि के पूरा होने से पहले अनुबंध समाप्त करने का फैसला लेताहै, तो ठेकेदार को कम से कम 30 दिन पहले अग्रिम सूचना देना होफ़ा है। ठेकेदार 30 दिनों की पूर्व सूचना के बिना समझौते के समाप्त करता है, तो उसकी पूरी सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।
- 25. ब्यूरो आवश्यकताओं के अनुसार ठेकेदार कार्य प्रदर्शन के लिए योग्य और अनुभवी कर्मियों को तैनात करेगा और जब भी आवश्यक हो, निर्धारित समय के भीतर सौंपे गए कार्य को पूरा करेगा ।
- 26. तैनात व्यक्तियों अच्छे से व्यवहार करेगा और कार्यालय में सही ढंग से आचार संहिता के सामान्य सिद्धांत का पालन करेगा।

- 27. ब्यूरो सौंपे गए कार्य से तैनात व्यक्ति को हटा सकता है, यदि यह पाया जाता है कि मानक के अनुसार सौंपे गए कार्य को ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है या आचार संहिता का पालन नहीं हो रहा है।
- 28. ठेकेदार तैनात कर्मियों को मजदूरी के भुगतान के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और ईपीएफ, ईएसआई और समय-समय पर सरकार अध्यादेश के अन्य वैधानिक अनुपालन के संबंध में किसी भी लाभ के लिए उत्तरदायी है।
- 29. ठेकेदार तैनात कर्मियों को मुआवजे से किसी के लिए एकमात्र जिम्मेदार है और भी अन्य वैधानिक किसी भी चोट / दुर्घटना के संबंध में जो कार्यालय परिसर में होता है तो समय-समय पर सरकार अध्यादेश के अन्पालन के लिए उत्तरदायी होगा ।
- 30. अप्रत्याशित घटना के लिए खण्ड : इस अनुबंध के बने रहने के दौरान किसी भी समय, इस अनुबंध के तहत किसी भी दायित्व के किसी भी पक्ष द्वारा पूरे या हिस्से में प्रदर्शन किसी भी कारणों से रोका या देरी हो जाएगा, या कोई दुश्मनी, सार्वजनिक दुश्मन का कार्य करते हैं, महामारी, नागरिक हंगामा, तोइफोइ, आग, बाढ़, विस्फोट, संगरोध प्रतिबंध, हइताल, तालाबंदी या भगवान (बाद में इस तरह के कृत्यों के रूप में करने के लिए कहा गया है) की तारीख से 21 दिनों के भीतर दूसरे के लिए एक पार्टी द्वारा दिया जाएगा । और इस तरह की घटना के घटित होने की सूचना भी उपलब्ध कराया जाना उचित है और न तो पार्टी इस तरह की घटना के कारणों के द्वारा अनुबंध को समाप्त करने का हकदार है और न ही पार्टी इस तरह के गैर-प्रदर्शन या प्रदर्शन में देरी के संबंध में अन्य के खिलाफ क्षति के लिए किसी भी भी प्रकार का दावा पेश करे, और अनुबंध के तहत सेवा देने के रूप में फिर से शुरू किया जाएगा जल्द ही इस तरह की घटना के बाद साध्य के रूप में आगे बढ़ेंगे है, बशर्त ब्यूरो के महानिदेशक के अंतिम निर्णय पर होगा, कि फिर से कार्य शुरू करने के लिए क्या किया जाय जो निष्पादन पर निर्भर करता है, इसके लिए ब्यूरो स्वतंत्र रूप से अपने विकल्प पर भी प्रदान की संविदा समाप्त कर सकते हैं या तो पार्टी से पर लेने के लिए, पूरे या इस अनुबंध के तहत किसी भी दायित्व के हिस्से में रोका जाता है या 60 दिन से अधिक की अविध के लिए किसी भी तरह की घटना की वजह से देरी एक कीमत पर ठेकेदार अंतिम होगा जो महानिदेशक द्वारा तय किया जाना है।
- 31. **अष्ट या धोखाधड़ी प्रथाओं**: ब्यूरो इस बोली के अंतर्गत बोलीदाताओं से ऐसे अनुबंधों की खरीद और निष्पादन के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन आवश्यक है। तदनुसार, ब्यूरो के रूप में निम्नानुसार निर्धारित नियमों को परिभाषित करता है:
- 32. **अष्ट आचरण का अभिप्राय** खरीद प्रक्रिया में या अनुबंध निष्पादन में सरकारी अधिकारी की कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए मूल्य का कुछ के प्राप्त या लोभ, का पेशकश देना ; और
- 33. 'धोखाधड़ी प्रथा" का अभिप्राय एक खरीद प्रक्रिया या ब्यूरो की हानि के लिए एक अनुबंध के निष्पादन को प्रभावित करने के क्रम में तथ्यों की एक गलत बयानी है, और कृत्रिम पर अनुबंध की कीमतों की स्थापना के लिए डिज़ाइन किया गया (बोली प्रस्तुत करने के लिए पहले या बाद में) बोलीदाताओं के बीच कपटपूर्ण अभ्यास में शामिल गैर-प्रतिस्पर्धी स्तर और स्वतंत्र और खुली प्रतियोगिता के लाभों के ब्यूरो वंचित करने के लिए।
- 34. अनुबंध की अविध के दौरान या बाद में, ठेकेदार को भ्रष्ट या धोखाधड़ी प्रथाओं में लगा हुआ पाया जाता है, तो ब्यूरो इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा ; किसी समय में यह निर्धारित करता है कि यदि ब्यूरो या तो अनिश्चित काल के लिए या पात्र ठेकेदार की घोषणा की तारीख से 24 महीने की अविध के लिए, पात्र ठेकेदार के लिए एक अनुबंध दिया जाएगा ।
- 35. गोपनीयता : ठेकेदार ब्यूरो से पूर्व लिखित अनुमित के बिना किसी भी व्यक्ति को इस अनुबंध के तहत होलीडे होम सेवाएं प्रदान करते हुए प्राप्त हमारे मालिकाना हक का खुलासा नहीं किया जाएगा।
- 36. प्रचार : यदि ठेकेदार द्वारा प्रचार के लिए ब्यूरो के नाम का इस्तेमाल किया जाता है तो ठेकेदार को ब्यूरो से स्पष्ट लिखित में अनुमित के साथ किया जाना चाहिए।

- 37. विवाद और मध्यस्थता : ब्यूरो और ठेकेदार के अधीन या अनुबंध के संबंध में उन दोनों के बीच उत्पन्न होने वाले प्रत्यक्ष अनौपचारिक बातचीत, किसी भी असहमति या विवाद से सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। कि किसी भी तरह की एक विवाद भारतीय मानक ब्यूरो के दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को हल निकालने के लिए भेजा जाएगा । मध्यस्थता और स्लह भारतीय अधिनियम के प्रावधानों, 1996 से लागू होंगे।
- 38. सेवारत सूचना के मोड : केवल अनुबंध के लिए लिखित रूप में जो दलों के बीच संवाद प्रभावी हैं। एक नोटिस तभी प्रभावी होगा यह (भारतीय संविदा अधिनियम के संदर्भ में) दिया जाता है ।
- 39. उपलब्ध अनुबंध के लिए ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सभी सूचनाएं जारी किया जाएगा। यदि किसी मामले में पंजीकृत डाक द्वारा पोस्ट के सामान्य पाठ्यक्रम में इन पर कार्य किया गया होता या वितरित करने के लिए नोटिस ठेकेदार के अंतिम ज्ञात जगह या एडोब या व्यवसाय के लिए द्वारा भेजा जाता है, तो यह समझा जाएगा कि वितरित कर दिया गया है।
- 40. शासकीय भाषा : पूरे अन्बंध और संचार उसके लिए भाषा शासकीय अंग्रेजी में किया जाएगा।
- 41. कानून : भारतीय कानून के तहत अन्बंध शासित और व्याख्या की जाएगी ।
- 42. **न्यायिक अधिकार क्षेत्र**: कोई वाद या अनुबंध के प्रदर्शन या उल्लंघन से संबंधित अन्य कार्यवाही केवल चेन्नई की स्थानीय सीमाओं के भीतर सक्षम अदालतों को छोड़कर कानून के किसी भी न्यायालय में ठेकेदार द्वारा क्षेत्राधिकार दायर या ले लिया जाएगा।
- 43. स्टाम्प इ्यूटी: ठेकेदार अनुबंध के संबंध में किसी भी स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करेगा।

इस पर किए गए समझौते	मैसर्ज	(नाम और ठेकेदार का पता) के
		कूल या उसके अर्थ में, जब तक इसका मतलब
यह समझा जाएगा जो अभिव्यक्ति व	के तौर पर ठेकेदार	को उसके उत्तराधिकारियों और प्रदाता के रूप में
माना जाएगा) के एक भाग के रूप	में है और अन्य	भाग के रूप में भारतीय मानक दक्षिणी क्षेत्रीय
कार्यालय, सीआईटी कैम्पस, चतुर्थ :	क्रॉस रोड, तारामपि	ो, चेन्नई-600113 के ब्यूरो में शामिल (उसके
बाद यह प्रतिकूल या उसके अर्थ में	, जब तक इसका	मतलब यह समझा जाएगा जो अभिव्यक्ति के
तौर पर ब्यूरो को उसके उत्तराधिकारि	ायों और प्रदाता के	रूप में माना जाएगा) में शामिल करने के लिए
माना जाएगा ।		
जबिक ठेकेदार एक सेवा प्रदाता है।		
और जबकि उपभोक्ता मामले और	खाद्य और सार्व	जनिक वितरण, भारत सरकार के मंत्रालय के
अधीन कार्यरत ब्यूरो एक सांविधिक	निकाय है। ब्यूरो	लेखा सेवा, इसलिए, दिनांकित
ओपन या विज्ञापित / सीमित / ए	कल निविदा के म	ाध्यम से जांच बोलियां आमंत्रित की स्थापना
करना चाहता है ।		
जबिक ठेकेदार (सफल बोलीदाता) अ	ापनी बोली	प्रस्तुत बोली दस्तावेज का अवलोकन करें
और सफल बोलीदाता के रूप में चर्या	नित "बोली लगाने	की प्रक्रिया का अनुसरण करना और अनुबंध की
कीमतों पर बातचीत के अनुसार	र, "स्वीकृति पत्र'	' (एलओए) संख्या से संविदाकार
को के रूप में दिया गया	ΤΙ	
साथ ही दोनों पार्टी निविदा दस्तावेज	न नियम और शर्तें	(अन्बंध की शर्तें) "के रूप में वर्णित शर्तों का
पालन करने के लिए सहमत हैं।		
(ठेकेदार / अधिकृत	(ब्यूरो के प्र	गिधिकृत अधिकारी के
प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)	हस्ताक्षर)	
नाम	नाम	
पदनाम	पदनाम	
पता	पता	
फ़र्म/कंपनी की सील	ब्यूरो की र	ील
गवाही	गवाही	
(हस्ताक्षर)		
	(हस्ताक्षर)	
गवाही का नाम		

वित्तीय बोली दस्तावेज

- इच्छुक एजेंसी लेखा सेवा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित रूप से अपनी बोली मूल्य के रूप में देना होगा।
- सभी लागू करों सिहत बोली मूल्य शामिल होंगे।

क्रम सं	लेखा सेवा प्रदान करने के लिए बोली की मूल्य
1	अंकों में राशि : रु.
	शब्दों में राशि : रु.

तिथि:

स्थान: (फ़र्म की स्टांप सहित नाम व हस्ताक्षर)

ध्यान रखें : फ़र्म की सील और हस्ताक्षर अनिवार्य है अन्यथा वितीय बोली दस्तावेज़ पर विचार नहीं किया जाएगा